

74/2022
जारी-82
रेफरेन्स
जवाब प्रार्थना पत्र
पचायत प्रसार अधिकारी आवू रोड

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

अपील सं. 40/2023


अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1. श्री नेमीचन्द पुत्र श्री रायचन्द जैन जाति जैन निवासी सिरोही रोड पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिए लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:निर्णय:—

दिनांक : 18.09.2023

अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी की अपील दर्ज कर अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को भी नोटिस जारी किया कि यदि सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते हैं तो दिनांक 18.09.2023 को उपस्थित होकर अपीलार्थी प्रक्ष रख सकते हैं।



अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त किया गया। पत्रावली का भलीभांती अध्ययन किया गया एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन करने पर निष्कर्ष इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 10.04.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्री कपूरचन्द द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 07/2008 में कालन्द्री हॉस्पिटल व स्टेट हाईवे के मध्य भूमि ठिकाणा कालन्द्री होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी ने जरिए पत्रांक/लो.सू.अ./रेकॉर्ड/2023/1607 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा जवाब पेश किया, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पूर्व पत्रांक पत्रांक/लो.सू.अ./रेकॉर्ड/2023/1596 दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में किन्हीं विशिष्टियों का उल्लेख नहीं करने से परिकल्पनात्मक प्रश्न पूछा गया है, जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रेषित करने के लिए सूचना के सृजन की आवश्यकता होती है, जो अधिनियम में अनुमत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विशिष्टियों का उल्लेख नहीं किया जाकर केवल मात्र परिकल्पनात्मक प्रश्न पूछा गया है, जिसके लिए सूचना के सृजन की आवश्यकता होती है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं है एवं इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त

जिला कलक्टर, सिरोही

जिला कलक्टर सिरौही द्वारा अपने पत्रांक पत्रांक/लो.सू.अ./रेकॉर्ड/2023/1596 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित भी कर दिया गया है। जहां तक उक्त सूचना अपीलार्थी को देरी से दिए जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के दौरान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की हडताल चल रही थी एवं हडताल समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी की तवियत ठीक नहीं होने से उनका देहान्त हो गया, जिससे उक्त आवेदन समय पर निष्पादित नहीं हो सका। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को समय पर निष्पादित नहीं किए जाने का कारण उचित प्रतीत होने से एवं अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में सूचित किए जाने से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी भी प्रकार की अन्य कोई कार्यवाही/सूचना उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उक्त आलोक में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया।



(डॉ. भेंवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही